

पीठासीन अधिकारी :- श्योराम कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 179/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :- 27.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया मय अधिवक्ता हाजिर आकर पत्रावली विद्वा करने का प्रा०पत्र प्रस्तुत किया। जो शा०मि०। पत्रावली में प्रार्थीया का प्रा०पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर जरिये विद्वा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)